रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-18022020-216257 CG-DL-E-18022020-216257

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105] No. 105] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 17, 2020/माघ 28, 1941 NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 17, 2020/MAGHA 28, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

(केंद्रीय बायलर्स बोर्ड)

अधिसुचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 123(अ).—भारतीय बायलर विनियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए कितपय प्रारूप विनियमन भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 31 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) (केंद्रीय बायलर बोर्ड) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 898(अ), तारीख 6 दिसंबर, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, जिनमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिनको उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, से तीस दिन की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां 9 दिसंबर, 2019 से जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप विनियमों पर जनता से आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे ;

और बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय बायलर बोर्ड, भारतीय बायलर विनियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं. अर्थात :--

- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय बायलर (संशोधन) विनियम, 2020 है ।
 - (2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

960 GI/2020 (1)

- 2. भारतीय बायलर विनियम, 1950 में, विनियम 1 में, उपविनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--
 - "(2) ये नियम संपूर्ण भारत में प्रवृत्त होंगे ।"।

[फा. सं. पी-30014/5/2019-बायलर्स]

टी. एस. जी. नारायणन, सचिव, केंद्रीय बायलर्स बोर्ड

टिप्पण: मूल विनियम, भारत के राजपत्र, संख्यांक का.आ. 600, तारीख 15 सितंबर, 1950 को और अंतिम संशोधन सा.का.नि. 427(अ), तारीख 2 मई, 2017 में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

(CENTRAL BOILERS BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2020

G.S.R. 123(E).—Whereas certain draft regulations further to amend the Indian Boiler Regulations, 1950 were published as required under sub-section (1) of section 31 of the Boilers Act, 1923 (5 of 1923) *vide* notification of the Government of India, Ministry of Commerce and Industry(Department for Promotion of Industry and Internal Trade), (Central Boilers Board) number G.S.R. 898(E), dated the 6th December, 2019 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the said notification were made available to the public on the 9^{th} December, 2019;

And whereas, no objections and suggestions were received from the public on the said draft regulations;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 28 of the Boilers Act, 1923 (5 of 1923), the Central Boilers Board hereby makes the following regulations further to amend the Indian Boiler Regulations, 1950, namely:-

- **1. Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Indian Boiler (Amendment) Regulations, 2020.
 - (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. In the Indian Boiler Regulations, 1950, in regulation 1, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
 - "(2) They shall extend to the whole of India.".

[F. No. P-30014/5/2019-Boilers]

T. S. G. NARAYANNEN, Secy., Central Boilers Board

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, *vide*, number S.O. 600, dated the 15th day of September, 1950 and last amended *vide* G.S.R. 427(E), dated the 2nd May, 2017.